13A
01/03/24

प्रारूप – सात
(नियम 11 देखिये)

मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973(क्र. 44 सन् 1973) की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने के लिए प्रपत्र।

1. सोसायटी का नाम और पूरा पता : राजीव विकास परिषद
शिवशक्ति धाम ग्राम पहडिया पोस्ट रौरा
तह.– रायपुर कर्चु० जिला– रीवा (म.प्र.)

मोबाइल नम्बर 6232451303 ईमेल आईडी atsllbrewa@gmail.com

2. पंजीयन क्रमांक तथा तारीख : री.सं.–2440 दिनांक–27.01.1999

3. साधारण निकाय के वार्षिक सम्मिलन की तारीख : 15.02.2024

4. विद्यमान पदाधिकारियों की सूची :कार्यकाल तारीख 24.11.2022 से तारीख 23.11.2027 तक

अनु क्र	नाम, पिता/पति का नाम	पता	मोबाइल नं.	पारित पद	मुख्य व्यवसाय	हस्ता
1.	ऋषिका शुक्ला पिता बालेन्द्र कुमार शुक्ला	ग्राम पहडिया पोस्ट रौरा तह रायपुर कर्चु० जिला–रीवा (म.प्र.)	6261306242	अध्यक्ष	वकालत	
2.	बालेन्द्र कुमार शुक्ला पिता मुनि प्रसाद शुक्ला	ग्राम पहडिया पोस्ट रौरा तह रायपुर कर्चु० जिला–रीवा (म.प्र.)	6232451303	उपाध्यक्ष	वकालत	
3.	कीर्ति सिंह पति राजेश कुमार सिंह	किरण ज्योति विद्यालय के पास रीवा तह हुजूर जिला–रीवा (म.प्र.)	9893558718	सचिव	नौकरी	
4.	कल्पना द्विवेदी पति काशीधर द्विवेदी	ग्राम लोही पोस्ट भीटा तह गुढ़ जिला–रीवा (म.प्र.)	7000702435	कोषाध्यक्ष	गृहिणी	
5.	रघुनंदन पाण्डेय पिता अंगद प्रसाद पाण्डेय	ग्राम लोही पोस्ट भीटा तह गुढ़ जिला–रीवा (म.प्र.)	9993877030	अतिरिक्त लेखा निरीक्षक	नौकरी	
6.	विभा शुक्ला पति बालेन्द्र कुमार शुक्ला	ग्राम पहडिया पोस्ट रौरा तह रायपुर कर्चु० जिला–रीवा (म.प्र.)	8349009802	सदस्य	नौकरी	
7	मनु प्रसाद पिता रामसखा	ग्राम पहडिया पोस्ट रौरा तह रायपुर कर्चु० जिला–रीवा (म.प्र.)	9340092437	सदस्य	नौकरी	
8	गिरीश चन्द्र त्रिपाठी पिता रामसजीवन त्रिपाठी	15/362 रतहरा तह हुजूर जिला–रीवा (म.प्र.)	7898216460	सदस्य	नौकरी	
9	राजीव मिश्रा पिता संभू प्रसाद मिश्रा	ग्राम पटना पोस्ट कटकी तह सिरमौर जिला–रीवा (म.प्र.)	9301150857	सदस्य	नौकरी	

5. मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 [illegible] की वार्षिक फी[illegible] तारीख 01.11.2023 द्वारा जमा करी दी गई है, उसकी मूल प्रति संलग्न है।
चालान क्रमांक ....
चालान आईडेन्टिफिकेशन नम्बर(CIN) SBIN00061579475[illegible]220243051 75

सत्य प्रतिलिपि
01/03/2024

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएँ

// घोषणा //

मैं ऋषिका शुक्ला पिता बालेन्द्र कुमार शुक्ला आयु लगभग ..... वर्ष एक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि उपर्युक्त जानकारी सोसाइटी के अभिलेख पर आधारित होने से तथा हमारी श्रेष्ठतम जानकारी के अनुसार सत्य है। सोसाइटी के अभिलेख मुझ अधोहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकृत अधिकारी के आधिपत्य में है। मैं यह जानता/ जानती हूं कि यदि मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जाती है तो मैं उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) के अधीन दण्ड का दायी हो रहूंगा/रहूंगी।

मध्यप्र... सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधि...
1973 की धारा 29 के तहत प्रतिलिपि

हस्ताक्षर........................

नाम– ऋषिका शुक्ला

पदनाम:– अध्यक्ष/सचिव Kirti Singh

मोबाइल नम्बर:– 6261306242

ईमेल:– atsllbrewa@gmail.com

01/03/2024

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएें
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Registration and Stamp Department
Madhya Pradesh

Certificate of Stamp Duty

E-Stamp Details

E-Stamp Code	01013229022024017817
Total E-Stamp Amount	100
Govt. Stamp Duty (Rs.)	100
Janpad Duty (Rs.)	0
Exempted Amount(Rs.)	0
Municipality Duty (Rs.)	0
Upkar Amount (Rs.)	0
E-Stamp Type	NON-JUDICIAL
Issue Date & Time	29/02/2024 16:50:03
Service Provider or Issuer Details	arun kumar pathak/SP013240907201500760
SP/SRO/DRO/HO Details	collectrate parisar rewa m.p. HUZUR REWA

Deed Details

Deed Type	Certificate or other document
Deed Instrument	Certificate or other document, evidencing the right or title of the holder thereof, or any other person, either to any shares, scrip or stock in or of any incorporated company or other body corporate, or to become proprietors of shares, scrip or stock in or of any such company or body- One rupee for every one thousand rupees or a part thereof, of the value of the shares, scrip or stock.
Purpose	प्रमाणित प्रति की नकल

First Party Details

Organization Name	राजीव विकास परिषद
Address	ग्राम पहडिया पोस्ट रौरा तहसील रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

Second Party Details

Organization Name	फर्म एवं सोसयटी
Address	रीवा REWA Madhya Pradesh INDIA
Number of Persons	1

संस्था राजीव विकास परिषद, रीवा पंजीयन क्रमांक 2440 दिनांक 27/1/99 के नाम से दिनांक 29/2/24 को प्रस्तुत मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 की धारा 27 की जानकारी की प्रतिलिपि हेतु धारा 29 के तहत दिनांक 29/2/24 को आवेदक श्री ..... सिंह के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया। धारा 27 के तहत प्रस्तुत शासी निकाय की सूची की वैधानिकता के संबध मे प्रस्तुतकर्ता पदाधिकारी स्वयं उत्तरदायी है। कार्यालय द्वारा धारा 29 के तहत केवल प्रतिलिपि जारी की गई है धारा 29 के तहत जारी प्रतिलिपि पदाधिकारियों की वैधानिकता के संबध में प्रमाण पत्र/आदेश नहीं है।

01/03/2024

(ए. के. पंडित)
असिस्टेंट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं
रीवा-शहडोल संभाग, रीवा (म०प्र०)

Digitally signed by ARUN KUMAR PATHAK
Date: 2024.02.29 16:50:06 IST

XXX-Part—21

रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्यप्रदेश शासन

23164000097

समिति का पंजीयन प्रमाणपत्र

क्रमांक डी० एस० 2440

यह प्रमाणित किया जाता है कि ग्रामीण विकास परिषद

समिति जोगैया हाउस बोदाबाग रीवा चौराहे के पास, तहसील हुजूर,

जिला रीवा में स्थित है, मध्यप्रदेश

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44)

के अधीन 27/1/99 को पंजीबद्ध की गई है।

दिनांक ग्यारह माह जनवरी सन् 1999

सहा. पंजी. फर्म्स एवं संस्थायें रीवा संभाग रीवा

(डी. एल. धुर्वे)

सहायक पंजीयक

फर्म्स एवं संस्थायें

रीवा संभाग रीवा

Principal

Pt. Ram Sunder Shukla Shiksha

Prakshikshan Sansthan Panadhiya

GRFRJ—FS/89—10/97—40,000.

प्रारूप – सात
(नियम 11 देखिये)

रजिस्ट्रार फर्म्स एवं सोसायटी को मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन शासी निकाय सूची की जानकारी प्रस्तुत करने का निर्देश पत्र।

1075/14
11/9/2014

1. सोसायटी का नाम और पता : राजीव विकास परिषद् समिति
रौरा हाउस बोदाबाग रीवा
तह.– हुजूर जिला– रीवा (म.प्र.)
2. रजिस्ट्रीकरण क्रमांक एवं तारीख : री.सं. – 2440 दिनांक 27.01.1999
3. उपस्थित कुल सदस्यों की संख्या उनके नाम तथा पते संलग्न करें। : नौ (09)
संलग्न है।
4. रजिस्ट्रीकृत नियमों तथा विनियमों के अनुसार शासी निकाय की अवधि : पांच वर्ष (05)
5. वर्तमान निर्वाचन की तारीख और उपस्थिति सदस्य संख्या एवं गणपूर्ति क्या थी : 24.04.2014 गणपूर्ति पूर्ण रही
6. विद्यमान पदाधिकारियों ने पूर्व पदाधिकारियों से किस तारीख को कार्य भार ग्रहण किया, एक सूची उनके नाम पते तथा उप जीविकायें, उनके हस्ताक्षर सहित संलग्न करें। : 24.04.2014 संलग्न है।
7. पूर्व निर्वाचन की तारीख : 24.04.2009
8. सोसायटी के नियमों तथा विनियमों के अनुसार वार्षिक साधारण सम्मिलन का माह तथा तारीख : 24.04.2014
आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परन्तु वर्ष में एक बार अनिवार्य
9. अंतिम वार्षिक सूची कब प्रस्तुत की गई थी, यदि प्रस्तुत नहीं की गई तो उसका क्या कारण है। : 18.08.2009
10. इस वर्ष के वार्षिक साधारण सम्मेलन का कार्यवृत्त तारीख सहित संलग्न करें : 24.04.2014 संलग्न है।
11. मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1973 की धारा 27 के अधीन सूची की वार्षिक फीस रुपये 4920/– रसीद/चालान क्रमांक 09/2014 दिनांक 01/09/2014 द्वारा जमा करा दी गई है। चालान की मूल प्रति संलग्न है : संलग्न है।

Principal
Dr. Ram Sunder Shukla Shiksha Prashikshan Sansthan Pahadi, Rewa

//घोषणा–पत्र अध्यक्ष//

मै श्री बालेन्द्र कुमार शुक्ला पिता श्री मुनि प्रसाद शुक्ला अध्यक्ष यह घोषित करता हूं। उपरोक्त समस्त वृतांत मेरे ज्ञान व विश्वास से पूर्ण सत्य है। किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी के लिये मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973 की धारा 38(2) के अधीन अपराधी होऊंगा।

अध्यक्ष

दिनांक 24.04.2014
साक्षी

नाम : श्री बालेन्द्र कुमार शुक्ला
पता : ग्राम/पोस्ट– रौरा
तह.– रायपुर कर्चु. जिला– रीवा (म.प्र.)

//घोषणा–पत्र सचिव//

मैं श्री रघुनन्दन पाण्डेय पिता श्री अंगद प्रसाद पाण्डेय सचिव यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त समस्त वृतांत मेरे ज्ञान व विश्वास से पूर्ण सत्य है। किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी के लिये मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973 की धारा 38(2) के अधीन अपराधी होऊंगा।

सचिव की हस्ताक्षर

दिनांक : 24.04.2014
साक्षी :

नाम : श्री रघुनन्दन पाण्डेय
पता : ग्राम– लोही पोस्ट– भीठा
तह.– गुढ़ जिला– रीवा (म.प्र.)

//घोषणा–पत्र कोषाध्यक्ष//

मैं श्रीमती विभा शुक्ला पिता श्री नारायण प्रसाद शुक्ला कोषाध्यक्ष यह घोषित करता हूँ कि उपरोक्त समस्त वृतांत मेरे ज्ञान व विश्वास से पूर्ण सत्य है। किसी भी प्रकार की असत्य जानकारी के लिये मध्य प्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973 की धारा 38(2) के अधीन अपराधी होऊंगा।

कोषाध्यक्ष की हस्ताक्षर

दिनांक : 24.04.2014
साक्षी

नाम : श्रीमती विभा शुक्ला
पता : ग्राम/पोस्ट– रौरा
तह.– रायपुर कर्चु. जिला– रीवा (म.प्र.)

Principal
Pt. Ram Sunder Shukla Shiksha
Prakshikshan Sansthan Pahadiya

वर्तमान सूची कार्यकारिणी

वर्तमान में नियुक्त प्रबंधकारिणी के सदस्यों व पूर्व कार्यरत सदस्यों की अलग–अलग सूची निम्न जानकारी सहित भेजी जाय:–

नाम सदस्य	पद जिस पर नियुक्त हुए	व्यवसाय	पता	पद पर किस दिनांक से किस दिनांक तक कार्यरत रहेंगे।	हस्ताक्षर
2	3	4	5	6	7
श्री बालेन्द्र कुमार शुक्ला	अध्यक्ष	वकालत	ग्राम/पोस्ट– रौरा तह.– रायपुर कर्चु. जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
ऋषिका शुक्ला	उपाध्यक्ष	विद्यार्थी	ग्राम– पहड़िया पोस्ट– रौरा तह.– रायपुर कर्चु. जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
श्री रघुनन्दन पाण्डेय	सचिव	नौकरी	ग्राम– लोही पोस्ट– भीटा तह.– गुढ़ जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
श्रीमती दिव्या शुक्ला	कोषाध्यक्ष	नौकरी	ग्राम/पोस्ट– रौरा तह.– रायपुर कर्चु. जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
श्री अजय कुमार तिवारी	अंकेक्षण निरि.	प्रा0नौकरी	ग्राम– लौआ पोस्ट– लक्ष्मणपुर जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
श्री गिरीश चन्द्र त्रिपाठी	सदस्य	नौकरी	ग्राम/पोस्ट– रतहरा जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
[illegible] शुक्ला	सदस्य	कृषि	ग्राम/पोस्ट– लोही तह.– गुढ़ जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
श्री मधु प्रसाद शुक्ला	सदस्य	नौकरी	ग्राम/पोस्ट– रौरा तह.– रायपुर कर्चु. जिला– रीवा (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	
श्री पुनीत नारायण शुक्ला	सदस्य	कृषि	ग्राम/पोस्ट– अनहा जिला–सीधी (म.प्र.)	24.04.2014 से 23.04.2019 तक	

Principal

RUPEES

₹10 ₹10

INDIA NON JUDICIAL

MADHYA PRADESH

49AA 499522

Cancelled

19/9/14

Principal

Ram Sunder ...

Prakshikshan Sansthan

Distt. ...

कार्यालय असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाऐं,रीवा संभाग, रीवा
यूनिवर्सिटी रोड़,खुटेही रीवा

क्रमांक/संशो0-- / 7/2/15

रीवा, दिनांक

प्रति,

अध्यक्ष/सचिव

ग्रामीण विकास परिषद
[illegible]
[illegible] तहसील हुजूर
जिला रीवा

विषयः-- समिति के पंजीकृत ज्ञापन--नियमावली में संशोधन के संबंध में ।

संदर्भः-- आपका, संशोधन प्रस्ताव प्राप्त दिनांक 2/6/15 ।

....

उक्त विषय मे संदर्भित दिनांक को प्रस्तुत समिति के पंजीकृत ज्ञापन एवं नियमावली के प्रस्तावित संशोधित प्रावधानों का अनुमोदन आज दिनांक 7/8/1 .... को दिया जाता है । कृपया संशोधित प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें ।

बी० के० दुबे
असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार
फर्म्स एवं संस्थाएं रीवा

असि.रजिस्ट्रार,
फर्म्स एवं संस्थाऐं,रीवा संभाग,रीवा

प्रारूप क्रमांक-१
(देखिये नियम ३)
समितियों के संशोधित पंजीयन हेतु ज्ञापन पत्र

7 90/15
25/6/2015

1. समिति का नाम :- राजीव विकास परिषद् होगा
2. समिति का कार्यालय :- शिवशक्ति धाम ग्राम-पहड़िया पोस्ट-रौरा, तह.-रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा (म.प्र.) में स्थित होगा।
3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :-

1. रीवा संभाग की जनता में शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना, उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक, महाविद्यालय तथा अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, उसका संचालन करना।
2. महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना तथा उनका संचालन करना।
3. प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार के लिए शालाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
4. संगीत शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार के लिए शालाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
5. मूक बधिर एवं अंधों के कल्याण हेतु आवश्यक एवं संबंधित प्रयास करना।
6. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करना तथां उनका संचालन करना।
7. टेक्निकल एवं औद्योगिक शिक्षा संबंधी व्यवस्था करना तथा उनका संचालन करना।
8. छात्रों, युवकों एवं युवतियों हेतु मनोरंजनालय, क्रीड़ां स्थल, छात्रावास एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
9. संस्कृति एवं साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करने तथा उनकी प्रगति हेतु आवश्यक प्रयास करना।
10. समय-समय पर प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, टूर्नामेंट आदि के आयोजनों की व्यवस्था करना तथा संचालन करना।
11. शिक्षा समितियें, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, शिशु देखरेख केन्द्र, बाल मजदूरों हेतु विद्यालयों एवं प्रशिक्षण केन्द्र आदि खोलना।
12. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली वरीयताओं एवं सहायताओं सहयोग आदि को प्राप्त करके उनके कार्यक्रमों, योजनाओं का प्रचार-प्रसार कार्यान्वयन करने में मदद करना जिसमें क्षेत्रीय, जनता की मदद के साथ-साथ सरकार अपनी नीतियों में सफल हो सके।
13. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता का शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक तथा उन्नति करना होगा, इसके लिए संस्था कार्यक्रम बनायेगी तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी करके आम जनता को अवगत कराना तथा उनके माध्यम से सभी सरकार द्वारा घोषित नियमों व कानूनों के अन्तर्गत लाभान्वित कराना।
14. विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण शोध आदि का संचालन करना।
15. सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करना।
16. विद्यालयों की स्थापना कर उसमें आई.टी.आई. पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल की शिक्षा प्रदान करना।
17. शिक्षा के प्रचार के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा बी.एड., डी.एड. एवं एम.एड. महाविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना एवं शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Principal
Ram Sunder Shukla Shiksha
Prashikshan Sansthan Pahadiya

संशोधित नियमावली

1. समिति का नाम — राजीव विकास परिषद् होगा
2. समिति का कार्यालय — शिवशक्ति धाम ग्राम–पहड़िया पोस्ट–रौरा, तह.–रायपुर कर्चुलियान, जिला–रीवा (म.प्र.) में स्थित होगा।

समिति का कार्यक्षेत्र — सम्पूर्ण भारत वर्ष में होगा

3. समिति के उद्देश्य निम्नलिखित होंगे :–

1. रीवा संभाग की जनता में शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना, उक्त उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राथमिक, उच्चतर, माध्यमिक, महाविद्यालय तथा अन्य प्रकार की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना, उसका संचालन करना।
2. महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने हेतु कढ़ाई, बुनाई, सिलाई की शिक्षा के लिए विद्यालयों की स्थापना तथा उनका संचालन करना।
3. प्रौढ़ शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार के लिए शालाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
4. संगीत शिक्षा के प्रसार तथा प्रचार के लिए शालाओं की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
5. मूक बधिर एवं अंधों के कल्याण हेतु आवश्यक एवं संबंधित प्रयास करना।
6. पुस्तकालयों एवं वाचनालयों की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
7. टेक्निकल एवं औद्योगिक शिक्षा संबधी व्यवस्था करना तथा उनका संचालन करना।
8. छात्रों, युवकों एवं युवतियों हेतु मनोरंजनालय, क्रीड़ा स्थल, छात्रावास एवं स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना करना तथा उनका संचालन करना।
9. संस्कृति एवं साहित्यिक अभिरुचि उत्पन्न करने तथा उनकी प्रगति हेतु आवश्यक प्रयास करना।
10. समय–समय पर प्रदर्शनियों, सम्मेलनों, टूर्नामेंट आदि के आयोजनों की व्यवस्था करना तथा संचालन करना एवं राजीव विकास परिषद के विस्तार हेतु जमीन क्रय करना एवं विक्रय करना।
11. शिक्षा संस्थायें, बालवाड़ी, आंगनबाड़ी, वृद्धाश्रम, विधवा आश्रम, शिशु देख–रेख केन्द्र, बाल मजदूरों हेतु विद्यालयों एवं प्रशिक्षण केन्द्र आदि खोलना।
12. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा संस्थाओं को दी जाने वाली वरीयताओं एवं सहायताओं सहयोग आदि को प्राप्त करके उनके कार्यक्रमों, योजनाओं का प्रचार–प्रसार कार्यान्वयन करने में मदद करना जिसमें क्षेत्रीय जनता की मदद के साथ–साथ सरकार अपनी नीतियों में सफल हो सके।
13. इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र की जनता का शैक्षणिक, सामाजिक, नैतिक तथा उन्नति करना होगा, इसके लिए संस्था कार्यक्रम बनायेगी तथा राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार द्वारा क्षेत्र की जनता के लिए चलायी जा रही योजनाओं व कार्यक्रमों की जानकारी करके आम जनता को अवगत कराना तथा उनके माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा घोषित नियमों व कानूनों के अन्तर्गत लाभान्वित कराना।
14. विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रशिक्षण शोध आदि का संचालन करना।
15. सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, शारीरिक शिक्षा एवं अन्य व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन करना।
16. विद्यालयों की स्थापना कर उसमें आई.टी.आई. पोलीटेक्निक, इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कालेज की शिक्षा प्रदान करना। बी.एस.सी नर्सिंग एवं एम.एस–सी. नर्सिंग खोलने शिक्षा प्रदान कराना।
17. शिक्षा के प्रचार के लिये विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा बी.एड., डी.एड. एवं एम.एड. महाविद्यालयों की स्थापना एवं उनका संचालन करना एवं शिक्षा के प्रचार–प्रसार हेतु महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Principal
Dr. Ram Sunder Shukla Shiksha
Prakshikshan Sansthan Pahadiya
Distt. Rewa (M.P.)

(1) प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं तारीख सहित हस्ताक्षर।
(2) चन्दा या सदस्यता शुल्क का विवरण।
(3) सदस्य पंजी सदैव पूर्ण रखी जायेगी और समय–समय पर जो परिवर्तन होंगे वो लाल स्याही से अंकित करेंगे।
(4) वह दिनांक जब सदस्य, सदस्य पंजी के रूप में दर्ज किया गया हो।

10. संस्था के कार्य संचालन के लिए निम्नलिखित समितियों का निर्माण किया जायेगा :–
(अ) साधारण सभा :
(ब) कार्यकारिणी सभा :

साधारण सभा

(1) साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये गये समस्त सदस्यों का समावेश रहेगा उसकी बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी परन्तु बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आवश्यक होगी।
(2) साधारण सभा की बैठक की सूचना 15 दिन पूर्व लिखित रूप में दी जायेगी एवं लिखित सूचना में समय तारीख तथा स्थान स्पष्ट उल्लेख होगा।
(3) साधारण सभा की गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 3/5 होगी।

11. साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :
(अ) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ब) संस्था को स्थायी निधि व संपत्ति की ठीक व्यवस्था हैं इसकी जांच करना।
(स) प्रत्येक 5 वर्ष पश्चात् कार्यकारिणी के 9 सदस्यों का निर्वाचन करना।
(द) कार्यकारिणी में यदि कोई पद हुआ हो तो उसकी पूर्ति करना।
(इ) ऐसे अन्य विषयों पर विचार करना अध्यक्ष द्वारा मान्य किये जायेंगे।
(ई) समिति द्वारा संचालित संस्थाओं के आय--व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना तथा आवश्यक कार्यवाही करना।

12. प्रबंधकारिणी का गठन :

ट्रस्टीज यदि कोई हो तो समिति के पदेन सदस्य रहेंगे। नियम 5 में दर्शाये गये सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1) अध्यक्ष (2) उपाध्यक्ष (3) सचिव (4) कोषाध्यक्ष (5) अतिरिक्त लेखा निरीक्षक 1 एवं सदस्य –4

13. कार्यकारिणी का कार्यकाल :–

कार्यकारिणी उस समय तक जब तक नई कार्यकारिणी का चुनाव नहीं होता है कार्य करती रहेगी। कार्यकारिणी का निर्वाचन 5 वर्ष के लिए होगा।

14. प्रबंधकारिणी के अधिकार एवं कर्तव्य :

1. समिति के कार्य संचालन की व्यवस्था कार्यकारिणी द्वारा की जायेगी जो साधारण सभा द्वारा पारित समस्त ठहराओं के माध्यम से सौंपे जायेंगे। विशेष परिस्थिति में कार्यकारिणी को यह भी अधिकार होगा कि वह ऐसी तत्काल कठिनाइयों के संबंध में बहुमत द्वारा निर्णय के कार्यकारिणी कोई विशेष अधिकारी की बैठक नहीं बुला सकती है।
2. समिति द्वारा संचालित विभिन्न विद्यालयों तथा संस्थाओं की देख–रेख, निरीक्षण तथा व्यवस्था करना साथ ही इस आशय की पूर्ति हेतु आवश्यक धन का व्यय करना।
3. आगामी वर्ष का आय--व्यय (बजट) तैयार करना तथा स्वीकार करना।
4. समिति व उसके अधीन संचालित विद्यालयों एवं संस्थाओं के वैतनिक कर्मचारियों के वेतन तथा अन्य भत्ते आदि स्वीकार करना, भुगतान करना तथा आवश्यकता होने पर संबंधित संस्था हेतु ऋण लेने तथा उसका भुगतान करना।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Ram Sundar Shukla ... Prakshikshan Sansthan ... Distt. Rewa (M.P.)

5. संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर, किराया तथा अन्य किसी प्रकार
व्यय का भुगतान क... बिना अध्यक्ष की अनुमति के नहीं होगा अध्यक्ष की अनुमति ...
आवश्यक होगा।

6. संस्था द्वारा संचालित विद्यालयों एवं संस्थाओं के वैधानिक कर्मचारियों को, जो संस्था ...
नियम के विपरीत कार्य कर रहे हैं अथवा संस्था की साख को धक्का पहुचा रहे हो, ...
तथा अन्य आवश्यक कार्यवाही करने का पूर्ण होगा परन्तु अध्यक्ष की अनुमति लेना आवश्य...
होगा।

7. संस्था के लिए भूमि तथा अचल सम्पत्ति खरीदना, पट्टे पर लेना, दान में लेना, भवन निर्मा...
करना संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए चन्दा एकत्रित करना। अन्य किन्हीं साथ ...
विभिन्न संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना, जनता से संस्था की अन्य आवश्यकताओं की
पूर्ति हेतु अंशदान प्राप्त करना।

8. संस्था किसी भी कार्य के लिये स्कूल, कॉलेज, महाविद्यालयों स्थापना के लिये तथा समिति
के किसी भी कार्य के लिए वित्तीय संस्थाओं से (लोन) कर्ज ले सकती है संस्था की
चल--अचल सम्पत्ति का मूल्यांकन करवा सकती है।

15. अध्यक्ष के अधिकार :--

1. अध्यक्ष साधारण सभा तथा कार्यकारिणी समिति की समस्त बैठकों की आध्यक्षता करवायेगा।
अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में निर्णयात्मक होगा।

2. समिति द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं की बैठक बुलाने के लिए मंत्री को परामर्श देना तथा
अंतिम स्वीकृति के लिए हस्ताक्षर करना।

3. बैंक से संस्था की रकम ड्रा करने हेतु अध्यक्ष के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे साथ ही साथ
सचिव के हस्ताक्षर भी होंगे लेकिन अध्यक्ष को पैसा खर्च करने का अधिकार होगा।

4. जरूरत पड़ने पर अध्यक्ष के पास विशेषाधिकार होगा कि समिति के सदस्यों को बिना बताये
जो भी रकम की आवश्यकता पड़ेगी खर्च कर सकता है।

5. समिति के समस्त विशेषाधिकार अध्यक्ष को होगा नियुक्ति एवं अन्य मामलों में अध्यक्ष स्वयं
निर्णय लेगा उसमें समिति के सदस्यों का निर्णय बाध्य नहीं है। अगर जरूरत समझे तो
अनुमोदन ले सकता है। समिति के राजीव विकास परिषद के विकास हेतु चल एवं अचल
सम्पत्ति के क्रय एवं विक्रय करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा। बैठकों की अध्यक्षता करेगा।
लेकिन आवश्यक निर्णय अध्यक्ष ही करेगा। संस्था नये कोर्स संचालित करना चाहती है तो
बैंक से लोन एवं प्रापर्टी राजीव विकास परिषद की गहन कर बैंक से वृत्तीय सहायता लेने
का अधिकार अध्यक्ष को होगा।

16. उपाध्यक्ष के अधिकार

अध्यक्ष के जीवन काल तक समस्त समिति का अधिकार अध्यक्ष को होगा एवं अध्यक्ष के जीवन
काल के बाद राजीव विकास परिषद ग्राम--पहड़िया, पो. -- रौरा जिला रीवा म.प्र. के उपाध्यक्ष को होगा
एवं अध्यक्ष के पद का समस्त अधिकार एवं समिति को चलाने एवं समिति के जो भी अधिकार हैं वह
सभी अधिकार उपाध्यक्ष का होगा एवं अध्यक्ष का प्रभार अध्यक्ष के जीवन काल के बाद उपाध्यक्ष का
होगा।

17. (अ) सचिव (मंत्री) के अधिकार

1. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में संस्था के कार्यालय एवं उसके द्वारा संचालित संस्थाओं की सम्पूर्ण
जवाबदारी एवं नियंत्रण रखने का भार सचिव पर होगा, यह नीति निर्देशन के अनुसार कार्य
संचालन व प्रतिनिधित्व करेगा, साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की बैठक समय-समय पर
बुलाना और समस्त आवेदन पत्र तथा सुझाव जो प्राप्त हो अध्यक्ष के पास प्रस्तुत करना।

2. संस्था के कर्मचारियों पर नियंत्रण व देखभाल करना।

अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

Principal
Dr. Ram Sunder Shukla Shiksha
Prakshikshan Sansthan Pahadia
Distt. Rewa (M.P.

3. संस्था के आय–व्यय का हिसाब रखना तथा लेखा परीक्षण प्रति वर्ष जांच करवाकर वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर साधारण सभा के समक्ष प्रस्तुत करना।
4. संस्था के समस्त कागजातों को तैयार करवाना, उनका निरीक्षण करना, अनियमितता पाये जाने पर उसकी सूचना कार्यकारिणी को करना।
5. सचिव अध्यक्ष की सलाह से संस्था के किसी भी कर्मचारी की नियुक्ति करेगा, निलम्बन करने या निकालने का पूर्ण अधिकार अध्यक्ष को होगा।
6. सचिव अपना मत अध्यक्ष को देगा।
7. सचिव के किसी कार्य के लिए 50/– रु. खर्च करने का अधिकार होगा।
8. संस्था का समस्त पत्र व्यवहार सचिव द्वारा होगा।

18. कोषाध्यक्ष के अधिकार :

1. समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा व्यय करने का अधिकार अध्यक्ष को होगा।
2. कोषाध्यक्ष अपने पास 100/– रु. तक रख सकता है इससे अधिक समस्त धनराशि अध्यक्ष के निश्चित बैंक संस्था के नाम धनराशि रखी जायेगी।
3. बैंक के धनराशि अध्यक्ष के हस्ताक्षर से निकाली जायेगी जिसका लेखा–जोखा कोषाध्यक्ष को रखना होगा। अति. लेखा निरीक्षक :– लेखा निरीक्षा लखाओं का निरीक्षण करेगा।

19. संशोधन : संस्था नियमावली में संशोधन, साधारण सभा में 3/5 सदस्यों के बहुमत से किया जावेगा। संस्था, पंजीयक को नियमावली एवं ज्ञापन में कभी उचित संशोधन करने का अधिकार देती है।

20. विवाद : संस्था में किसी प्रकार का विवाद होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा में बहुमत प्रणाली सुलझाने का अधिकार होगा, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम सर्वमान्य होगा, संस्था द्वारा संचालित समितियों के विवाद अथवा प्रबंधकारिणियों के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार अध्यक्ष का होगा, संस्था में यदि अनियमितता प्रारंभ में है वं सदस्यों द्वारा कार्य में बाधा निर्माण किये जाने संबंधी समाधान हो जाने पर अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह कार्यकारिणी को भंग कर दे, वह साधारण सभा की बैठक तुरंत बुलवाकर उसमें पदाधिकारियों का विधिवत् निर्वाचन करके उत्तरदायित्व सौंप दें।

21. पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना :–संस्था की पंजीयक नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाये जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निश्चित कर सकेगा।

22. कार्यकारिणी की सूची भेजने बावत् :– अधिनियम की धारा 27 के अन्तर्गत संस्था का वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 दिन के अन्दर पंजीयक फर्म्स एवं संस्थाएं को कार्यकारिणी के सदस्यों के संबंधी विवरण भेजी जायेगी। तथा धारा 28 के अन्तर्गत संस्था की परीक्षित लेखा वित्तीय वर्ष समाप्ति के पश्चात् तीन माह के भीतर मानी जावेगी।

23. व्याख्या :– संस्था को पंजीयक नियमावली या उसके अधीन निर्मित नियमों में या समस्त नियमों या उपनियमों की व्याख्या संबंधित विषयों हपर पंजीयक द्वारा दी गई व्याख्या अंतिम होगी, जिसका कि संबंधित पक्ष को पालन करना अनिवार्य होगा।

24. विघटन :– साधारण सभा में 3/5 सदस्यों के बहुमत से निर्णय किया जावेगा, विघटन के पश्चात् शेष सम्पति किसी समान उद्देश्य वाली संस्था को सौंपी जावेगी, जिसकी समस्त कार्यवाही मध्यप्रदेश समिति पंजीयन अधिनियम 1973 के अन्तर्गत की जावेगी।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Principal
Pt. Ram Sundar Shukla Shiksha
Prakshikshan Sansthan Pahadi
Distt. Rewa (M.P.)